सीएसआईआर - केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान
CSIR – Central Electronics Engineering Research Institute
पिलानी (राजस्थान) / Pilani (Rajasathan) 333031

सं./No.: 35/01/2020 - राभा

दिनांक/Dated : 28 अक्टूबर, 2025

कार्यालय ज्ञापन / Office Memorandum
(पृष्ठांकन/Endorsement)

सीएसआईआर मुख्यालय के ईमेल, दिनांक 21 अक्टूबर, 2025 के साथ सचिव, राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी विभागों के सचिवों को अ. शा. पत्र सं. 120019/04/2025-रा.भा.(का.2), दिनांक 09 अक्टूबर, 2025 के माध्यम से प्रेषित राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के प्रमुख बिंदु सभी वैज्ञानिकों/अधिकारियों/कार्मिकों की सूचना, अवलोकन एवं अनुपालन हेतु पृष्ठांकित किए जा रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि सचिव, राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र में उल्लिखित इन बिंदुओं पर दिनांक 14-15 सितंबर, 2025 को अहमदाबाद, गुजरात में हुए अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में भी चर्चा की थी। सभी सहकर्मी ध्यान दें कि राजभाषा नीति का अनुपालन प्रत्येक वैज्ञानिक/अधिकारी/कर्मचारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है और माननीय संसदीय राजभाषा समिति राजभाषा नीति के उल्लंघन को गंभीरता से लेती है।

अतः सभी वैज्ञानिकों/अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि कृपया राजभाषा विभाग द्वारा **'संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम 2025-26'** का अवलोकन करें तथा भारत सरकार के राजभाषा लक्ष्यों की प्राप्ति में यथासंभव सहयोग करें। वार्षिक कार्यक्रम 2025-26 संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

28/10/2025

(मधुरंजन पाण्डेय/Madhuranjan Pandey)
प्रशासन नियंत्रक/Controller of Administration

प्रतिलिपि (सूचना एवं अनुपालन हेतु) :
Copy to (For information and compliance) :

1. निदेशक कार्यालय / Director Office
2. प्रशासन नियंत्रक / वित्त एवं लेखा नियंत्रक // CoA/CoFA
3. प्रमुख, पीएमई / Head, PME
4. सभी विभागाध्यक्ष तथा समूह/यूनिट/अनुभाग प्रमुख /All the Heads of Deptts/Groups/Units/Sections
5. प्रमुख, एआईटीजी/एनएमसी//Head, AITG/NMC - वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए
6. सभी सूचना पट्ट/All Notice Boards

अंशुली आर्या, आई.ए.एस.
सचिव
ANSHULI ARYA, I.A.S.
Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

अ.शा.पत्र सं.12019/04/2025-रा.भा.(का.2) दिनांक: 09 अक्तूबर, 2025

प्रिय महोदया / महोदय

संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है। केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा के रूप में हिंदी का उत्तरोत्तर प्रयोग बढ़ाने के लिए राजभाषा अधिनियम,1963 तथा उसके अधीन बनाए गए राजभाषा नियम, 1976 में विविध प्रावधान किए गए हैं।

According to Article 343(1) of the Constitution, Hindi is the official language of the Union. Various provisions have been made in the Official Languages Act, 1963 and the Official Languages Rules, 1976 framed thereunder to promote the progressive use of Hindi as the official language in Central Government Ministries/Departments/Subordinate Offices.

2. राजभाषा विभाग के संज्ञान में आया है कि कतिपय मंत्रालयों/विभागों द्वारा राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में मंत्रालयों/विभागों से अपेक्षित है कि वे इस अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करें। ज्ञातव्य है कि धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले सभी 14 कागजात (संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएँ, प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्तियाँ, संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें एवं सरकारी कागजपत्र, संविदाएँ, करार, अनुज्ञप्तियाँ, अनुज्ञापत्र, टेंडर नोटिस और टेंडर फार्म) द्विभाषी रूप में साथ-साथ ही जारी किए जाएं और जारी करते समय यह ध्यान रखा जाए कि हिंदी रूपान्तर अंग्रेजी रूपान्तर के ऊपर/पहले रहे।

It has come to the notice of the Department of Official Language that Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963 is not being implemented by few Ministries/Departments. In this regard, the Ministries/Departments are required to ensure compliance with this Act. It is noteworthy that all 14 documents mentioned under Section 3(3) (Resolutions, General orders, Rules, Notifications, Administrative and other reports, Press Releases, Administrative and other reports to be laid before any House or Houses of Parliament, and Government Papers, Contracts, Agreements, Licenses, Permits, Tender Notices and Tender forms) should be issued simultaneously in bilingual form and mind while issuing them this should be kept in mind that the Hindi version is above/before the English version.

.......2

तृतीय तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
फोन : (91) (11) 23438266, फैक्स : (91) (11) 23438267, ई-मेल : secy-ol@nic.in

3. इसके अलावा यह भी संज्ञान में आया है कि राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में न देकर अंग्रेजी में दिया जा रहा है। नियम -5 एवं 7 के अंतर्गत सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि कोई पत्र हिंदी में प्राप्त हुआ है अथवा कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी में प्राप्त हुआ है अथवा उस पर यदि हिंदी में हस्ताक्षर किए गए हों तो उसका उत्तर हिंदी में ही दिया जाए।

Furthermore, it has also come to the notice that under Rule 5 of the Official Language Rules, 1976, letters received in Hindi are being replied to in English instead of Hindi. Also, under Rules 5 & 7, it should be ensured that if a letter is received in Hindi or any application, appeal or representation is received in Hindi or is signed in Hindi, then the reply should be given in Hindi only.

4. यद्यपि राजभाषा नीति प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सद्भावना पर आधारित है एवं इन धाराओं के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान नहीं है अपितु स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद यह अपेक्षित है कि इन सामान्य नियमों का पालन सुनिश्चित हो। मुझे विश्वास है कि उपरोक्त विषय की गरिमा को देखते हुए आप सुनिश्चित करेंगे कि आपके मंत्रालय/विभाग व अधीनस्थ कार्यालयों में इन नियमों का उल्लंघन न हो। मैं अनुगृहीत होउंगी यदि सरकारी कार्यों में राजभाषा के प्रयोग तथा उपरोक्त दोनो पहलुओं की निगरानी आप अपने स्तर पर करेंगे।

Although the Official Language Policy is based on inspiration, encouragement, and goodwill and there is no provision for punishment for violation of these sections, after 75 years of independence, it is expected that these general rules are followed. I am confident that, given the sanctity of the above subject, you will ensure that these rules are not violated in your Ministry/Department and subordinate offices. I would be grateful if you would monitor the use of the Official Language in official works and the above both aspects at your level.

शुभकामनाओं सहित

Best Wishes/शुभेच्छु,

अ आर्य

(अंशुली आर्या)

<u>**सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव / Secretaries of all Ministries/Departments**</u>